श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार के लिए पूँछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या-3 का उत्तर।

	प्रश्न	उत्तरालेख
3(क)	क्या उप मुख्य मंत्री (चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) बतायेंगे कि दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 29 अगस्त, 2024 के मध्य वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में परिवार कल्याण विभाग की कौन-कौन सी योजनाओं से जनता को क्या-क्या लाभ प्राप्त हुये है ?	जी हॉ। दिनांक 01 जनवरी, 2024 से 29 अगस्त, 2024 के मध्य वाराणसी, आजमगढ़ एवं मिर्जापुर मण्डल में परिवार कल्याण विभाग की निम्नलिखित योजनाओं द्वारा जनता को लाभान्वित किया जा रहा है:- 1-जननी सुरक्षा योजना 2-जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 3-प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 4-न्यू बॉर्न स्टेबिलाईजिंग यूनिट 5-सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट 6-पोषण पुनर्वास केन्द्र 7-होम बेस्ड न्यूबार्न केयर 8-राष्ट्रीय बाल स्वाथ्य कार्यक्रम 9-राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 10-आशा योजना 11-नियमित टीकाकरण 12-परिवार नियोजन कार्यक्रम 13-102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज
(ख)	क्या उक्त का सम्पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखेंगे ?	उपरोक्तानुसार विवरण की 05 प्रतियॉ मा0 सभापति, विधान परिषद के पटल पर मा0 सदस्यों के अवलोकनार्थ रक्षित हैं।
(ग)	यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।

ब्रजेश पाठक
उप मुख्यमंत्री।

श्री आशुतोष सिन्हा, मा0 सदस्य, विधान परिषद द्वारा तृतीय सत्र, 2024 के प्रथम गुरूवार के लिये पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या–3 के उत्तर का विवरण।

....

परिवार कल्याण की निम्नलिखित योजनाओं द्वारा दिनांकः 01 जनवरी, 2024 से 29 अगस्त, 2024 के मध्य वाराणसी, मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में जनता को लाभान्वित किया गया।

1. जननी सुरक्षा योजना (जे0एस0वाई0)–जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत गर्भवती महिलाओं को राज्य स्तरीय राजकीय चिकित्सालय के जनरल वार्ड में संस्थागत प्रसव कराने वाली समस्त महिलाओ को ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1400/– व शहरी क्षेत्र में रू0 1000/– एवं बी0पी0एल0 श्रेणी के घरेलू प्रसव हेतु रू0 500/– सहायता राशि के रूप में दिये गये है। माह जनवरी, 2024 से माह अगस्त–2024 तक लाभान्वित महिलाओं का विवरण निम्नवत् है–

कम सं0	मण्डल	जनपद	कुल जननी सुरक्षा योजना लाभार्थी
1	आजमगढ़	आजमगढ़	21464
2		बलिया	21336
3		मऊ	13815

4	मिर्जापुर	भदोही	10756
5		मिर्जापुर	24254
6		सोनभद्र	19047
7	वाराणसी	चन्दौली	16886
8		गाजीपुर	25762
9		जौनपुर	25477
10		वाराणसी	24916
कुल			**203713**

2. जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जे0एस0एस0के0)–

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिलाओं को गारण्टेड कैशलेश डिलीवरी सेवा प्रदान करना है एवं समस्त गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान चिकित्सकीय देखभाल व प्रसव सम्बन्धी सेवायें पूर्णतया निःशुल्क प्रदान करना है, जिसके अन्तर्गत प्रत्येक गर्भवती महिला को पांच निःशुल्क सेवायें–निःशुल्क परिवहन, निःशुल्क भोजन व्यवस्था, निःशुल्क उपचार (औषधि एवं कंज्यूमेबिल्स) निःशुल्क जांचे, एवं निःशुल्क ब्लड ट्रांसफ्यूजन की व्यवस्था प्रदान की जा रही है।

माह–जनवरी 2024 से माह अगस्त 2024 तक निम्नलिखित गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गयाः–

मण्डल	जनपद	फ्री मेडिसिन्स प्रोवाइडेड पीडब्लू	फ्री डाईट प्रोवाइडेड पीडब्लू	फ्री डायग्नोस्टिक प्रोवाइडेड पीडब्लू
आजमगढ़	आजमगढ़	38176	24776	49297
	बलिया	57764	32479	35774
	मऊ	8816	7869	7829
मिर्जापुर	भदोही	9660	6013	6413
	मिर्जापुर	21866	10067	17085
	सोनभद्र	14277	10843	11470
वाराणसी	चन्दौली	55355	49491	14433
	गाजीपुर	34429	12840	20401
	जौनपुर	48215	27841	32015
	वाराणसी	25057	17451	16478
कुल		**313615**	**199670**	**211195**

3. प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पी0एम0एस0एम0ए0)–

प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक माह की 01, 09, 16 एवं 24 तारीख को ब्लॉक एवं जिला स्तरीय चिकित्सालयों में चलाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाओं को सभी गर्भवती महिलाओं तक पहुंचाना और उन्हे सुरक्षित संस्थागत प्रसव के लिये प्रेरित करना है जिसमें द्वितीय व तृतीय त्रैमांस की गर्भावस्था वाली महिलाओं को न्यूनतम एक जॉच चिकित्सक द्वारा प्रदान की जाती है। समस्त जनपदों के 100 से अधिक प्रसव भार वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर पी.पी.पी. मोड पर गर्भवती महिलाओं के लिये अल्ट्रासाउण्ड की सुविधा भी प्रदान की जा रही है जिसका भुगतान पायलट प्रोजेक्ट के अन्तर्गत ई–वाऊचर के माध्यम से कुछ जनपदों में शुरु किया जा चुका है। माह–जनवरी 2024 से माह अगस्त 2024 तक निम्नलिखित गर्भवती महिलाओं को लाभान्वित किया गयाः–

मण्डल	जनपद	टोटल रिसीव्ड एण्टीनेटल केयर	टोटल रिसीव्ड पी0एम0एस0एम0ए0 सर्विसेज फार फर्स्ट टाइम	टोटल नम्बर आफ हाई रिस्क प्रेग्नेन्सी
आजमगढ़	आजमगढ़	42099	17081	3572
	बलिया	12626	4467	1087
	मऊ	14994	14315	890
मिर्जापुर	भदोही	5099	2875	592
	मिर्जापुर	14050	9574	797

	सोनभद्र	27955	27863	1335
वाराणसी	चन्दौली	17496	10495	2007
	गाजीपुर	27303	21109	2169
	जौनपुर	45352	30988	2820
	वाराणसी	32576	19587	3389
कुल		239550	158354	18658

4 न्यू बार्न स्टेबिलाईजिंग यूनिट एन0बी0एस0यू0)–प्रसव के पश्चात कमजोर तथा गंभीर नवजात जिन्हे चिकित्सालय मे गहन देख रेख मे रखना आवश्यक है के लिये न्यू बार्न स्टेबिलाई जिंग यूनिट की स्थापना।

लाभ–जन्म के कम वजन के नवजात का उपचार करना, समय से पूर्व जन्मे (34–37 सप्ताह के बीच जन्म लेने वाले) नवजात का उपचार व पीलीया से ग्रसित नवजात का उपचार किया जाता है।

5 सिक न्यूबार्न केयर यूनिट (एस0एन0सी0यू0)–अति गंभीर शिशुओं की विशेष देखभाल हेतु सिक न्यूबार्न केयर यूनिट की स्थापना।

लाभ–0–28 दिन के अति गंभीर शिशुओ (रेस्पाईरेटरी डिस्ट्रेस सिण्ड्रोम, मिकोनियम एसपायरेशन सिण्ड्रोम, मॉडरेट सीवर बर्थ एस्फीक्सिया, सेप्सिस/निमोनिया/मेनिनजाइटिस से ग्रसित अथवा प्रीमेच्योर) की विशेष देखभाल की जाती है।

6 <u>पोषण पुनर्वास केन्द्र (एन0आर0सी0)</u>–अति कुपोषित बच्चो का उपचार करने हेतु न्यूट्रीशन रिहेबिलीटेशन सेन्टर (पोषण पुनर्वास केन्द्र) की स्थापना।

<u>लाभ</u>–आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं आर0बी0एस0के0 (राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम) टीम द्वारा 05 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों को समुदाय से चिन्हित कर पोषण पुनर्वास केन्द्रों में सन्दर्भित किया जाता है। साथ ही बच्चों के अभिभावको को रू0 50/– की धनराशि श्रम हास के रूप में उपलब्ध करायी जाती है तथा अभिभावकों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए 50/– रूपये की धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को उपलब्ध करायी जाती है।

7 <u>होम बेस्ड न्यू बार्न केयर (एच0बी0एन0सी0)</u>–इस कार्यक्रम मे आशाओ द्वारा संस्थागत एवं घरेलू प्रसव के उपरान्त 42 दिनों के भीतर 6–7 बार गृह भ्रमण किये जा रहे है।

<u>लाभ</u>–आशा, द्वारा शिशु का परीक्षण, खतरे के चिन्हो की पहचान व सन्दर्भन आदि किया जाता है तथा विभिन्न विषयो पर माताओ की काउंसलिंग की जाती जैसे–स्तनपान, टीकाकरण, नवजात की देखभाल आदि।

वाराणसी मंडल				
जनपद	एन0आर0सी0	एस0एन0सी0यू0	एच0बी0एन0सी0	एन0बी0 एस0यू0

वाराणसी	01 (जिला चिकित्सालय)	02 (बी0एच0यू0 व एम0सी0एच0 विंग)	23717 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**04**—सी0एच0सी0 चोलापुर, गंगापुर व अरजैलिन तथा लालबहादुर चिकित्सालय
चन्दौली	01 (सी0एच0 सी0 चकिया)	02 (जिला चिकित्सालय व एम0सी0एच0विंग)	22893 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**04**—जिला संयुक्त चिकित्सालय, चकिया, सी0एच0सी0 सकलडीह, महिला चिकित्सालय मुगलसराय, सी0एच0सी0 नौगढ़
गाजीपुर	01 (जिला चिकित्सालय)	01 (जिला महिला चिकित्सालय)	37889 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**06**—सी0एच0सी0 सैदपुर, मोहम्मदाबाद, कसीमाबाद, झकनिया, जमनिया व भदौरा
जौनपुर	01 (जिला चिकित्सालय)	01 (जिला चिकित्सालय)	46200 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**05**—सी0एच0सी0 बदलापुर, शाहगंज, कराकट, मड़ियांव व पी0एच0सी0 जलालपुर।

मीरजापुर मंडल				
जनपद	**एन0आर0सी0**	**एस0एन0सी0यू0**	**एच0बी0एन0सी0**	**एन0बी0एस0यू0**
मीरजापुर	01 (जिला चिकित्सालय)	02 जिला महिला चिकित्सालय व एम0सी0एच0विंग	22804 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**04**—सी0एच0सी0 चुनार, कछवा, लालगंज व मरिहान
सोनभद्र	01 (जिला चिकित्सालय)	02 जिला महिला चिकित्सालय व	19323 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**02**—सी0एच0सी0 चोपन व घोराहावल

		एम0सी0एच0विंग		
संत रविदासनगर	01 (जिला चिकित्सालय)	01 सी0एच0सी0 भदोही	16205 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**05**–सी0एच0सी0 सुरियांवा, डीघ, औराई, जिला संयुक्त चिकित्सालय एम0बी0एस0 व जिला संयुक्त चिकित्सालय एम0सी0एस0
आजमगढ़				
जनपद	एन0आर0सी0	एस0एन0सी0यू0	एच0बी0एन0सी0	एन0बी0एस0यू0
आजमगढ़	01 (जिला चिकित्सालय)	02 (जिला महिलाचिकित्सालय व मेडिकल कालेज)	35518 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**09**–सी0एच0सी0 फूलपुर, मुबारकपुर, लालगंज, बिलरियागंज, कोइलसा, मरटीनगंज, मेहनगर, बरदाह व पी0एच0सी0 तहबरपुर।
बलिया	01 (जिला चिकित्सालय)	01 (जिला महिला चिकित्सालय)	23642 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**05**–सी0एच0सी0 रसरा, सियार, सिकंदरपुर, सोनवरसा व बांसडीह
मऊ	01 (जिला चिकित्सालय)	01 (जिला चिकित्सालय)	18916 शिशुओ ने लाभ प्राप्त किया।	**04**– जिला संयुक्त चिकित्सालय गोहना व सी0एच0सी0 घोसी, डोहरी घाट, फतेहपुर मडांव

8. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम–(आर0बी0एस0के0)

भारत सरकार द्वारा इस कार्यक्रम को और व्यापक बनाते हुए वर्ष 2013–14 से जन्म से 19 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के स्वास्थ्य संरक्षण हेतु ''राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम'' पूरे भारतवर्ष में संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में 4 डीएस–बर्थ डिफेक्टस, डिफीसियेन्शी, डिजीज एण्ड डेवलपमेन्टल डिलेज लीडिंग टू डिसेबिलिटी के दृष्टिगत स्वास्थ्य परीक्षण, उपचार एवं संदर्भन सुनिश्चित किया जाना है। कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक ब्लाक में दो मेडिकल टीमें तैनात की गई, जो आंगनबाड़ी केन्द्रों तथा स्कूलों में जा रही है तथा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं। इन टीमों द्वारा बच्चों की लम्बाई, वजन की जॉच, नज़र की जाँच तथा स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है तथा व्यक्तिगत स्वच्छता एवं पोषण संबंधी परामर्श भी दिया जाता है।

आर0बी0एस0के0–एमपीआर जनवरी, 2024 से अगस्त 2024 तक

मण्डल	जनपद	नम्बर आफ स्कूल्स / एडब्लूसीज कवर्ड	टोटल स्क्रीनिंग बाई एमएचटी एण्ड आशा	टोटल नम्बर आफ चिल्ड्रेन आयडेंटीफाईड फार 4 डीज बाई एमएचटी एण्ड आशा	नम्बर आफ चिल्ड्रेन रेफर्ड	नम्बर आफ चिल्ड्रेन मैनेज्ड अगेन्स्ट रेफर्ड
आजमगढ़	आजमगढ़	10528	709487	62666	62669	54968

	बलिया	5320	337084	10882	10892	9117
	मऊ	4036	267370	12025	11975	10258
मिर्जापुर	मिर्जापुर	4318	266294	5790	5764	5632
	सोनभद्र	3604	167461	16923	2642	4185
	भदोही	2248	155763	2487	2533	2475
वाराणसी	वाराणसी	4742	200259	8622	9194	8335
	जौनपुर	10085	550422	13795	13794	13638
	गाजीपुर	1620	80885	1916	1455	0
	चन्दौली	3070	241963	9670	9689	412

9. राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम(आरकेएसके)–

कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियॉ–

किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक–किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक जनपद चिकित्सालय स्तर के अतिरिक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी किशोर/किशोरियों को परामर्श, स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिये किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक स्थापित है। वर्तमान में प्रदेश में कुल स्थापित 344 किशोर स्वास्थ्य क्लीनिक पर प्रशिक्षित काउन्सलर्स द्वारा किशोर/किशोरियों के स्वास्थ्य विषयों पर परामर्श एवं प्रशिक्षत चिकित्सक द्वारा उपचारात्मक सेवायें प्रदान की जा रही है।

<u>साप्ताहिक आयरन और फोलिक एसिड पूरक कार्यक्रम **(डब्लूआईएफएस)**</u>– इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कक्षा 6 से 12 तक के सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, मदरसो, अनाथालयों, बाल अपराध गृह आदि के पंजीकृत बच्चों को सम्मिलित किया गया है। इस क्रम में लगभग एक करोड़ से भी अधिक किशोर/किशोरियां लाभान्वित हो रहे है।

इस कार्यक्रम को पूरे प्रदेश में लागू किया गया है। उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत समस्त स्कूल जाने वाले किशोर/किशोरियों को सप्ताहिक नीली आयरन की बड़ी गोली (100 मि0ग्रा0 एलेमेन्टल आयरन तथा 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड) खिलाने का प्राविधान है। प्रदेश के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में आयरन की नीली गोली शिक्षको के निगरानी में किशोर/किशोरियों को खिलायी जाती है।

इसके अतिरिक्त विफ्स कार्यक्रम में स्कूल न जाने वाली 10 से 19 वर्ष की समस्त किशोरियों को आई0सी0डी0एस0 की आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के माध्यम से सप्ताहिक आयरन की नीली गोली खिलाये जाने का प्राविधान किया गया है।

<u>पियर एजूकेशन कार्यक्रम</u>–पियर एजूकेशन कार्यक्रम प्रथम चरण में 25 उच्च प्राथमिता वाले जनपदों के 50 प्रतिशत ब्लॉकों में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के संचालन हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर 1000 आबादी पर आशा द्वारा दो स्कूल जाने

वाले तथा दो स्कूल न जाने वाले कुल 4 पियर एजूकेटर्स (15 से 17 वर्ष के) का चयन किया गया है। पीयर एजुकेटर जिन्हें साथिया भी कहा जाता है, जो अपने साथियों में सकारात्मक एवं स्वस्थ्य विचारों का संचार करेंगे।

राष्ट्रीय डी–वर्मिंग डे –प्रदेश के 1 से 19 वर्ष तक के समस्त बच्चों को सरकारी तथा सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, प्राइवेट स्कूलों, मदरसो, अनाथालयों एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से वर्ष में दो बार माह फरवरी व अगस्त में एल्बेण्डाजॉल 400 मि0ग्रा0 की गोली दिये जाने का प्राविधान किया गया है जिससे बच्चे पेट के कीड़ों से छुटकारा पा सके तथा एनीमिया जैसी बीमारियों से बच सके।

किशोरी सुरक्षा योजना

माहवारी के विषय में जुड़ी गलत धारणाओं व मिथकों को दूर करने तथा किशोरियों में माहवारी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं के निदान हेतु जानकारी दिया जाना तथा अच्छी गुणवत्ता के सैनेटरी नैपकिन्स उपलब्ध कराया जाना एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे कि उनकी गतिशीलता, व्यक्तिगत सहजता एवं उनका आत्मविश्वास बना रहें। इसके लिये प्रदेश सरकार द्वारा राज्य सरकार के बजट सेकिशोरी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत प्रदेश के सरकारी/परिषदीय विद्यालयों में पढने वाली कक्षा 6 से 12 तक की किशोरियों को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन्स वितरित किये जाने का लक्ष्य है।

किशोरी सुरक्षा योजना						
क्र0सं0	मण्डल का नाम	जनपद का नाम	मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा क्रय किये गये सेने0 नैप0 के पेकैट की संख्या	स्कूलों को कुल प्राप्त कराये गये सैनेटरी नैपकिन्स के पैकटों की संख्या	स्कुलों में वितरित किये गये सैनेटरी नैपकिन्स के पैकेटों की संख्या	किशोरियों की संख्या
1	**आजमगढ़**	**आजमगढ़**	276346	276346	276346	198169
2	**आजमगढ़**	**बलिया**	-	-	-	-
3	**आजमगढ़**	**मऊ**	134703	119500	119500	23890
4	**मिर्जापुर**	**मीरजापुर**	1301253	1301253	1301253	40400
5	**मिर्जापुर**	**भदोही**		800565	800565	29473
6	**मिर्जापुर**	**सोनभद्र**	वित्तीय वर्ष में 2023-24 में सैनेटरी नैपकिन्स क्रय नहीं किये गये			
7	**वाराणसी**	**वाराणसी**	-	-	-	-
8	**वाराणसी**	**चन्दौली**	165116	155000	155000	123220
9	**वाराणसी**	**गाजीपुर**	908777	908777	908777	
10	**वाराणसी**	**जौनपुर**	258833	258833	258833	43361

वीकली आयरन फोलिक एसिड ब्लू टेबलेट्स सप्लीमेंटेशन										
	आजमगढ़			**मिर्जापुर**			**वाराणसी**			
	आजमगढ़	**बलिया**	**मऊ**	**भदोही**	**मिर्जापुर**	**सोनभद्र**	**चन्दौली**	**गाजीपुर**	**जौनपुर**	**वाराणसी**
जनवरी 24	0	0	27281	10384	16899	58680	25524	59419	100619	44233
	0	0	0	26	638	3872	8315	34604	29514	4069
	0	0	25698	11556	23091	54189	28953	60751	90382	46223

फरवरी 24	768	412	0	17218	24195	45606	30061	66022	81964	43889
	0	5000	0	819	1028	15513	7613	31767	31375	8622
	759	348	0	17337	21537	42502	30173	70236	70285	47102
मार्च 24	0	0	37720	13187	36643	41396	30459	62385	113240	49308
	0	0	0	701	3646	2168	9927	35153	30242	8321
	0	0	38800	14931	37861	42589	32006	63098	97149	45148
अप्रैल 24	4866	4324	45293	14323	36288	63025	33325	51131	108760	41817
	54	180	1432	0	2200	7350	9886	33043	25005	1464
	4340	4519	46890	14830	30196	56366	34276	55196	100642	44250
मई 24	3087	4204	50901	23668	48018	43373	51253	52057	114832	45445
	48	53	0	52	1923	2981	8790	33208	32697	4587
	3259	4368	53346	28540	45871	38707	45922	55079	111013	50393
जून 24	2878	1090	26728	18147	45318	43022	42166	53626	107692	49451
	0	580	0	942	2259	7485	9078	31325	27169	4178
	3522	510	28333	34459	44798	38130	41513	58878	98837	49460
जुलाई 24	14215	1925	43766	35483	47285	51801	42081	51262	118324	51422
	703	23	280	1242	4155	7960	8799	28288	28791	4191
	14423	2298	41582	42687	53637	48439	42493	57767	102857	52746
अगस्त 24	12283	22432	54851	25255	50819	72280	40816	55152	119366	43574
	714	282	474	924	4164	8637	7712	27679	28024	3457
	12979	23271	52466	33798	48050	67324	40256	116605	106252	45400

10. आशा योजना–(एक्रीडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट)

आशा एक मान्यता प्राप्त सामाजिक कार्यकत्री है, जो कि स्वास्थ्य विभाग एव जनसमुदाय के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। आशा योजना भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित केन्द्रीय योजना है, तथा आशा एक मान्यता प्राप्त

सामाजिक कार्यकत्री है, जो कि स्वास्थ्य विभाग एव जनसमुदाय के बीच एक कड़ी का कार्य करती है। आशाओं को उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों के सापेक्ष प्रतिपूर्ति राशि प्रदान की जाती है। प्रदेश में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करने वाली आशाओं को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यो हेतु प्रतिपूर्ति राशि एवं सुविधाएं प्रदान की जाती है।

- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रत्येक एक हजार की जनसंख्या पर एक आशा का चयन एवं प्रशिक्षण किया जाता है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में 200–500 घरों पर एक आशा का चयन एवं प्रशिक्षण किया जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आशाओं के सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक 20 आशा पर एक आशा संगिनी का चयन किया जाता है। इन आशा संगिनियों का चयन कार्यरत आशाओं में से ही किया जाता है।

11. नियमित टीकाकरण –(आरआई)

परिवार कल्याण विभाग की नियमित टीकाकरण कार्यकम योजना के अन्तर्गत वाराणसी, मिर्जापुर एवं आजमगढ मण्डलों में बच्चों को पूर्ण प्रतिरक्षित किया गया।

मण्डल	जनपद	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
आजमगढ	आजमगढ़	83505	79048	**95**
	बलिया	59795	59595	**100**
	मऊ	36456	38050	**104**
मिर्जापुर	भदोही	28848	27693	**96**
	मिर्जापुर	42025	41378	**98**
	सोनभद्र	39627	38496	**97**
वाराणसी	चन्दौली	38332	37887	**99**
	गाजीपुर	63700	67696	**106**
	जौनपुर	75383	75994	**101**
	वाराणसी	55887	57979	**104**
कुल योग		523557	523816	100

12. <u>परिवार नियोजन कार्यक्रम–(एफपीपी)</u>

परिवार नियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत संचालित गतिविधियों का विवरण निम्नवत् हैः–

<u>अस्थाई विधि :–</u> दो बच्चों के मध्य जन्म में अन्तर बनाये रखने हेतु उपकेन्द्र स्तर तक के स्वास्थ्य इकाईयों पर निःशुल्क गर्भ निरोधक साधनों – अंतरा, छाया, ओरल

पिल्स, निरोध, आई0यू0सी0डी0 एवं पी0पी0आई0यू0सी0डी0 समुदाय के उपयोगार्थ उपलब्ध है।

स्थाई विधि :– परिवार कल्याण कार्यक्रम अर्न्तगत महिला तथा पुरुष नसबंदी सेवाएं प्रदान की जा रही है। नसबंदी सेवाएं जनपद स्तरीय चिकित्सा इकाईयों के अतिरिक्त चिन्हित प्रथम सन्दर्भन इकाईयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में नियत दिवस अथवा नियत दिवस आउटरीच सेवाओं के रुप में प्रदान की जाती हैं।

खुशहाल परिवार दिवस :–परिवार नियोजन सेवाओं को गति प्रदान करने हेतु मुहिम के तौर पर प्रत्येक माह की 21 तारीख को खुशहाल परिवार दिवस मनाया जा रहा है।

सास बहु सम्मेलन :– समुदाय में परिवार नियोजन सेवाओं के ग्राहयता में वृद्धि किये जाने के उद्देश्य से ग्रामीण स्तर पर सास बहू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है।

सारथी वाहन :– परिवार नियोजन कार्यकम के प्रचार–प्रसार हेतु जागरूकता वाहन “सारथी वाहन” का संचालन किया जा रहा है।

शगुन किट :–नवविवाहित दम्पत्तियों को परिवार नियोजन के बास्केट ऑफ च्वाइस साधनो की जानकारी देते हुये शगुन किट का वितरण किया जा रहा है।

कण्डोम बाक्स की स्थापना :– समस्त जनपदों में प्रमुख स्थलों तथा उपकेन्द्र स्तर तक की इकाईयों पर निःशुल्क कण्डोम आसानी से उपलब्ध कराने हेतु कण्डोम बाक्स की स्थापना की जा रही है।

परिवार नियोजन कार्यक्रम अन्तर्गत उपरोक्त गतिविधियों के माध्यम से दिनांक 01 जनवरी 2024 से 29 अगस्त 2024 के मध्य मण्डल–आजमगढ़, मिर्जापुर एवं वाराणसी में निम्न तालिकानुसार जनता को लाभान्वित किया गया हैः–

मण्डल	जनपद	एनएसवी लाभार्थी	एफएसटी लाभार्थी	आइयूसीडी लाभार्थी	पीपीआइयूसीडी लाभार्थी	पीएआइयूसीडी लाभार्थी	अन्तरा लाभार्थी	छाया लाभार्थी	ओसीपी लाभार्थी	कन्डेमपिसीज डिस्ट्रीब्यूटेड
आजमगढ़	आजमगढ़	30	4646	7534	8330	19	20161	68927	105833	967442
	बलिया	15	3346	7501	6514	47	12374	46769	57244	591696
	मऊ	11	4049	5311	6592	381	15283	39726	60701	904110
मिर्जापुर	भदोही	26	3304	5559	4716	12	10486	37169	58600	1405019
	मिर्जापुर	21	5533	3615	4706	46	6850	17591	30709	390469
	सोनभद्र	14	4552	3002	7809	56	14954	13883	29524	263127
वाराणसी	चन्दौली	46	6787	4809	5177	91	12342	14154	31733	287382
	गाजीपुर	97	6665	7899	6200	75	32037	49613	58060	508094
	जौनपुर	34	5166	13682	9102	139	31009	57464	85338	724822
	वाराणसी	197	7969	11062	9147	300	14677	40325	85220	955377

13. 102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेस

102 नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेस के अन्तर्गत दिनांक 01.01.2024 से 29.08.2024 के मध्य वाराणसी मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में संचालित क्रमशः 130, 73 व 117 एम्बुलेंसो के माध्यम से गर्भवती/प्रसूता महिलाओं व 01 वर्ष तक की आयु के शिशुओं को घर से शासकीय चिकित्सा इकाई, सन्दर्भन की स्थिति में चिकित्सा इकाई से अन्य चिकित्सा इकाई तक तथा चिकित्सा इकाई से घर तक निःशुल्क परिवहित करने हेतु एम्बुलेंस सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। योजनान्तर्गत सन्दर्भित अवधि में वाराणसी मिर्जापुर व आजमगढ़ मण्डलों में क्रमषः 195298, 161382 व 257778 लाभार्थियों को निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध करायी गयी है।

दिनांक 01.01.2024 से दिनांक 29.08.2024 के मध्य वाराणसी मिर्जापुर व आजगढ़ मण्डलो में 102 एम्बुलेंस सर्विसेस के अन्तर्गत उपलब्ध करायी गयी निःषुल्क एम्बुलेंस सेवा का विवरण निम्नवत् हैः—

क्र0सं0	मण्डल	एम्बुलेंसो की सं0	परिचालित ट्रिप				लाभार्थियों की कुल सं0
			पिकअप	ड्रापबैक	आई0एफ0टी0	कुल	
1	वाराणसी	130	50209	84435	323	134967	195298

2	मिर्जापुर	73	40510	69690	791	110991	161382
3	आजमगढ़	117	67778	112260	197	180235	257778